न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 361 /2026

अर्जुनराम पुत्र सुखाराम व अन्य
बनाम
रूपाराम पुत्र गुलाबा वगैरा

दिनांक 7.05.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी (बाडमेर) द्वारा अंतर्गत धारा 131, 136 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 40/2026 बअनवान रूपाराम बनाम तहसीलदार गुडामालानी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 09.04.2026 के विरूद्ध दिनांक 7.5.26 को प्रस्तुत की गई है। जो डी.सी. कोर्ट के आदेश कमांक 245 दिनांक 4.3.26 एवं उक्त आदेश निरस्त करने संबंधी आदेश कमांक 375 दिनांक 11.05.26 के मध्य प्रस्तुत की हुई होने से न्यायालय हाजा में सनुवाई की गई। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी –प्रत्यर्थी सं0 1–रूपाराम ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील गुडामालानी स्थित ग्राम मौखावा में प्रार्थी एवं अप्राथी के संयुक्त खातेदारी ख0नं0 1072 की भूमि के पास अन्य खातेदार के ख0नं0 1027 में चलायमान रास्ते की गलत तरमीम राजस्व रेकर्ड में ख0नं0 1072 व 1027 के मध्य कर दी जाने से, इसे दुरूस्त करने का आग्रह किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर तहसीलदार गुडामालानी को उनके पत्रांक भू.अ. /2026/2240 दिनांक 01.04.26 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरूस्त करने हेतु आदेशित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–अप्रार्थी सं0 सं0 2, 4 से 6, 9, 11, 14 ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट श्री भंवरलाल डूडी एवं प्रत्यर्थी सं. 9 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यथी सं0 1–प्रार्थी ने

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम मौखावा में प्रार्थी एवं अप्राथी के संयुक्त खातेदारी ख0नं0 1072 की भूमि के पास अन्य खातेदार के ख0नं0 1027 में चलायमान रास्ते की गलत तरमीम राजस्व रेकर्ड में ख0नं0 1072 व 1027 के मध्य कर दी जाने से, इसे दुरूस्त करने का आग्रह किया गया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी मय सह खातेदारान को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्रत्यर्थी सं0 1–प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं तहसीलदार गुडामालानी की एक पक्षीय रिपोर्ट के आधार पर तथ्यों के विपरित जाकर निर्णित कर दिया गया। जो प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शें व पूर्व की जमाबंदियों एवं मौके पर काबिज अन्य सह खातेदारों के हक हकूकों के विपरित है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी को लाभ पहुंचाने की नियत से एकतरफा स्वीकार किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट अपीलार्थी एवं अन्य सह खातेदारान की अनुपस्थिति में एकतरफा तैयार की गई है, जो मौके पर अपीलार्थी एवं अन्य सह खातेदारान के भौतिक कब्जा काश्त के विपरित है। आलौच्य प्रकरण में अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार के नोटिस डिलीवर्ड नही होने के बावजूद पोस्ट ऑफिस से बैगस में डिस्पेज डाक (Item Bagged and Item Dispatched) को तामिल की श्रेणी में मानते हुए अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित है। आरएलआर एक्ट की धारा 136 के तहत लिपिकीय त्रुटी सुधारने के ही प्रावधान है, इसके तहत किसी की भूमि हडपने के लिए अतिक्रमण को दुरूस्त नही करवाया जा सकता है। मूल खसरे एवं रकबों की भिन्नता के लिए आवश्यक पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में दोनों खसरान की भूमि प्रत्यर्थी सं0 1 एवं अपीलार्थी तथा अन्य अप्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी भूमि है तथा दोनो खसरों को जोड़ने हेतु इनके मध्य कटाण रास्ता है। प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा अपने निजि हित के लिए स्वयं के कब्जा काश्त की भूमि को रास्ते से जोडने एवं अपीलार्थीगण मय सह खातेदारान की भूमि के रास्तों को बाधित करने के प्रयोजन से आपसी मिली भगत से बाले–बाले अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया गया। ग्राम मौखावा के ख0नं0 1027, 1027/2, 1072, 1072/2, 1078 एवं 1134 कुल 6 खसरे की भूमि सभी खातेदारों की सामलाती भूमि है, जिसमें अपीलार्थी एवं अन्य खातेदारान अपने–अपने हक हदूद अनुसार काबिज काश्त है। जिसका तत्समय तक बंटवाडा नही हुआ तथा सभी खातेदारों को जोडने के लिए बडे ख0नं0 1072 एवं 1027 के मध्य से कटाण रास्ता

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

निकलता है। प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत परिशिष्ट ''अ'' एवं राजस्व नक्शा व तहसीलदार की रिपोर्ट में भिन्नता है। प्रत्यर्थी सं0 1 उक्त रास्ते के चारों ओर काबिज होना चाहता है। अपीलाधीन आदेश विवादित खसरों को खण्डित करते हुए, प्रभावी खातेदारों को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा मौका स्थिति की जांच के बिना पारित किया गया है, जबकि उक्त खसरान की तरमीम अपीलार्थी एवं अन्य खातेदारान के पूर्वजों के भौतिक कब्जे अनुसार थी। अतः अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित होने से निरस्त फरमाने तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिसम्मत निर्णय पारित कराने हेतु प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया गया।

प्रत्यर्थी सं0 9 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा वकील अपीलांट द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया गया। प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रथमतः वकील अपीलांट का यह अभिकथन कि अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित सम्मन की ट्रेकिंग रिपोर्ट में पोस्ट ऑफिस से बैगस में डिस्पेज डाक (Item Bagged and Item Dispatched) को तामिल की श्रेणी में मानते हुए अपीलार्थीगण के विरूद्ध जल्दबाजी में एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई, अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से साबित है। द्वितीय अपीलाधीन आदेश में दर्शाये गये प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत परिशिष्ट–'अ' एवं तहसीलदार गुडामालानी के पत्रांक 2440 दिनांक 01.04.26 द्वारा प्रेषित नजरी नक्शें में भिन्नता है, जिसकी दुरूस्ती के लिए निर्णय के पैरा सं0 7 के बिन्दु सं0 5 में ख0नं0 1072 के रकबे को नजरी नक्शा अनुसार खण्डित किया गया है, जिसके लिए संबंधित खातेदारान एवं पक्षकारान की सुनवाई एवं उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करवायी जाना आवश्यक है। चूंकि अपीलांट हस्तगत अपील के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष इस प्रकरण में सुनवाई चाहते है। अतः न्यायहित में उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझा गया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी (बाडमेर) द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 40/2026 बअनवान रूपाराम बनाम तहसीलदार गुडामालानी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 09.04.2026 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की सुनवाई कर, उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं राजस्व रेकर्ड व मौके की स्थिति का परीक्षणोपरांत, तहसीलदार गुड़ामालानी से रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करावे।

निर्णय आज **दिनांक** 7/5/26. को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर, फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर